

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(14)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 25-10-2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में विशिष्ट न्यायालय(ड0प्र0क्ष0) धौलपुर के लिए राजस्थान डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के अधीन अनुसूचित अपराधों से संबंधित मामलों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री पुरुषोत्तम परमार, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर /895/08) को विशिष्ट लोक अभियोजक (ड0प्र0क्ष0), धौलपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


SD

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश(ड0प्र0क्ष0), धौलपुर।
- 10 जिला कलक्टर, धौलपुर।
- 11 कोषाधिकारी, धौलपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केंद्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

  
25/10/19  
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण